



दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1195

दिनांक: 30/12/2022

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) को उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 (67,700-208,700/- रु.) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15600-39100/-रु. के पे बैंड में 6600/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे।

क्रम सं./ वरि. सं.	नाम व पिता / पति का नाम सर्वश्री/-	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/897	श्री मोहन चंदर पांडे सुपुत्र स्व. श्री हरीश चंद पांडे	एस.ए.जी.आर.
2/914	श्री सुनील कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद	आर. टी. आई.

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रु. के वेतनमान में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. उप निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु निदेशक (कार्मिक)-1 को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 30/12/2022

सं.एफ.10(60)2022/सी.सी./ 1026

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी, दि.वि.प्रा.।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / उद्यान, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. आयुक्त (कार्मिक), आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक)-1/ सतर्कता 1 - 2 / एस.ए.जी.आर., दि.वि.प्रा.।
6. उप निदेशक (कार्मिक)-1/ सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष/ आर. टी. आई., दि.वि.प्रा.।
7. उप निदेशक (पी.एम.आई.एस.), दि.वि.प्रा.- आदेश को डी.डी.ए. की वेबसाइट पर डालने हेतु।
8. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 / पी.आई.एम.एस. / गोपनीय कक्ष - 2, दि.वि.प्रा.।
9. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित, दि.वि.प्रा.।
10. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
11. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

(मेघना त्यागी)

सहायक निदेशक (गोपनीय)